कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश

संख्या–1266 / सं0क0 / 2019–20, लखनऊ:दिनांक 16 सितम्बर, 2019

समस्त एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड–1,
वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

आज दिनांक 13.09.2019 को कमिश्नर महोदया की अध्यक्षता में पूर्व मनोरंजन कर विभाग, उ0प्र0 के अधिकारियों / निरीक्षकों की बैठक मुख्यालय, लखनऊ में आयोजित हुई। उक्त बैठक में संलग्न पत्र संख्या–1137 / सां0क0 / 2019–20 दिनांक 29.08.2019 के एजेण्डा बिन्दुओं के संदर्भ में समीक्षा की गयी। इस बैठक में अनुभव किया गया कि एजेण्डा बिन्दुओं पर जनपदवार मासिक समीक्षा किये जाने पर आवश्यकता है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 24.09.2019 को मुख्यालय, लखनऊ में होने वाली मासिक समीक्षा बैठक के पूर्व अपने मण्डल में स्थित समस्त जनपदों के पूर्व मनोरंजन कर अनुभाग के अधिकारी / निरीक्षक की एक बैठक आयोजित कर संलग्न पत्र दिनांक 29.08.2019 के बिन्दुओं पर समीक्षा कर विस्तृत आख्या तैयार कर लें। इस सम्बन्ध में दिनांक 24.09.2019 को मुख्यालय में आयोजित बैठक में चर्चा की जायेगी।

आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि यदि समीक्षा के दौरान पूर्व मनोरंजन कर विभाग के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय सम्बन्धी कोई समस्या से आपको अवगत कराया जाता है तो इस सम्बन्ध में आप उक्त समस्या का निराकरण सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट महोदय से समन्वय स्थापित कर अपने स्तर से कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

16/9/19
(सुधा वर्मा)
एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन)
वाणिज्य कर, उ0प्र0।

संख्या: तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि:–

1– समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उ0प्र0।
2– समस्त जनपदीय विभागीय अधिकारी(पूर्व मनोरंजन कर विभाग),उ0प्र0।
3– वैयक्तिक सहायक, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।

(सुधा वर्मा)
एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन)
वाणिज्य कर, उ0प्र0।

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या– 1137 /सं0क0/2019–20 दिनांक 29 अगस्त, 2019

समस्त डिप्टी/असिस्टेंट कमिश्नर,
वाणिज्य कर अधिकारी, निरीक्षक,
पूर्व मनोरंजन कर विभाग, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नर, महोदया की अध्यक्षता में माह अगस्त, 2019 तक की पूर्व मनोरंजन कर विभाग के लम्बित प्रकरणों के निस्तारण की स्थिति के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक दिनांक 13.09.2019 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से **कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के सभागार, विभूति खण्ड, लखनऊ** में आयोजित की गयी है:–

बैठक का एजेण्डा निम्नानुसार है:–

1. जनपद में कुल केबिल पत्रावलियों के सापेक्ष माह 30 जून, 2017 तक के बकाया मनोरंजन कर के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 की धारा–12 के अन्तर्गत कितनी केबिल पत्रावलियों में कर निर्धारण आदेश जारी किये गये, वसूल धनराशि एवं अवशेष पत्रावलियों का विवरण।
2. जनपद में कुल बकाया एवं वसूली की स्थिति तथा वसूली प्रमाण पत्रों से आच्छादित बकायों का विवरण एवं वसूली हेतु किये गये प्रयास।
3. बन्द सिनेमाओं को खोलने, वर्तमान में संचालित सिनेमाओं को अधिक लाभप्रद बनाने तथा नये सिनेमा/मल्टीप्लेक्स के निर्माण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या–564/11–6–2017–एम(34)/17 दिनांक 28 जुलाई, 2017 के माध्यम से जारी समग्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जनपद में योजना के प्रचार–प्रसार एवं सिनेमा संचालन हेतु किये गये प्रयास, अगस्त, 2019 तक कुल प्राप्त आवेदन, कुल दी गयी अनुमति तथा संचालित/पुनः संचालित होने वाले सिनेमा/मल्टीप्लेक्स की संभावित संख्या का विवरण।
4. महालेखाकार एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा की आडिट आपत्तियों के निस्तारण की स्थिति।
5. मा0 न्यायालय में लम्बित वादों का विवरण और उनकी की पैरवी की स्थिति।
6. कमिश्नर महोदया की अनुमति से अन्य बिन्दु।

अतएव आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त बैठक के सम्बन्ध में उक्त एजेण्डा बिन्दुओं पर माह अगस्त, 2019 तक की अपने जनपद की सम्पूर्ण सूचना एवं निरीक्षकवार केबिल पत्रावलियों में की गयी कार्यवाही, बकाया तथा बकाया वसूली का विवरण दिनांक 05.9.2019 तक विभागीय ई–मेल (etcomup@nic.in) पर प्रत्येक दशा में प्रेषित किया जाना तथा उक्त बैठक में जनपद में तैनात निरीक्षकों के साथ नियत तिथि, समय व स्थान पर प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।

(सुधा वर्मा)
एडिशनल कमिश्नर(प्रशा0)।

संख्या– 1137 /तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।
2. एडिशनल कमिश्नर (लेखा), वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।
3. मुख्यालय के समस्त अधिकारी।
4. वैयक्तिक सहायक, कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।
5. नाजिर मुख्यालय को आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु।
6. गार्ड फाइल।

29/8/19
(सुधा वर्मा)